न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– ओमप्रकाश वगैरह बनाम चौथूराम आदि

किस्म मुकदमा– प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट मु.नं0 84 वर्ष 2024

दिनांक	आज्ञा पत्र
09.12.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी सं0 2/1, 2/4, 2/5 एंव 3 जरिये वकील उपस्थित आए। अप्रार्थी सं0 1, 2/2, 2/3, 2/6, 2/7 से 2/9, 4, 5 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाती है। बहस टी0आई0 सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रानोली तह0 दांतारामगढ़, सीक़र की तन में कृषि भूमि ख0नं0 1434 जिसके खाता सं0 50 नया एंव ख0नं0 1435, 1437 किता 2 कुल रकबा 1.1800 है0 जिसके खाता सं0 51 नया है एंव ख0नं0 1436,1438, 1439, 1440, 1441 कुल किता 5 कुल रकबा 2.7600 है0 अवस्थित है जिसके खाता सं0 221 नया है। उक्त कृषि भूमियों में प्रार्थीगण व अप्रार्थी गण बतौर खातेदार काश्तकार होकर भूमियों को काश्त करते चले आ रहे है। आवेदन की मद सं0 3, 4, 5 अनुसार पक्षकारान का हक हिस्सा निहित है। भूमियों का खातेदारों के मध्य बाई मिट्स एंड बाउण्डस से विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थीगण काफी समय पूर्व से कमानेखाने के लिये दिल्ली में परिवार सहित आवास करते है। प्रार्थीगण के मकानात, ग्राम हरनाथ की ढाणी तन राणोली में स्थित है। प्रार्थीगण का बाहर रहने का फायदा उठाकर अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने पूर्व में प्रार्थीगण के मकानों को हडपने के लिए उन पर कब्जा करने की कुचेष्टा की थी, जिसपर मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 16/2023 पुलिस थाना रानोली में दर्ज करवाई थी। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 प्रार्थीगण की विशिष्ट भाग को अपनी भूमि में शामिल होना बताकर भूमि को भू माफिया किस्म के व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा हो गये है। यदि अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वे अपने कुउद्देश्य में सफल हो जायेगे, तो प्रार्थीगण को इस कदर असीम क्षति कारित हो जायेगी जिसकी तलाफी बाद में किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि इसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 ता 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया है कि वे वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमियों के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थी सं0 1 ता 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने हेतु निवेदन किया है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमियों के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जबकि वकील अप्रार्थी द्वारा टी0आई0 कंफर्म नहीं करने हेतु निवेदन किया । हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.24 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर राजस्व ग्राम राणोली तहसील दांतारामगढ़,

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1434, 1435, 1437, 1436,1438, 1439, 1440, 1441 के रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबन्द किया गया था।

चूंकि प्रार्थी द्वारा वाद बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एंव बंटवारा अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया है, जिसमें विभाजन प्रस्ताव जारी किये जा चुके है। जिसमें तहसीलदार,दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री जारी की जानी है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद सं0 100/2024 उनवानी ओमप्रकाश वगैरह बनाम अजीतसिंह आदि के निस्तारण तक राजस्व ग्राम राणोली तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1434, 1435, 1437, 1436,1438, 1439, 1440, 1441 के रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर